न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023 / 14 **दायर दिनांक 25.01.2023**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

सुनिल कुमार पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार उम्र 48 साल निवासी वार्ड नम्बर 13 कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **शेरसिंह पूनिया एड. वास्ते गैरसायल।**

निर्णय **दिनांक : 03.06.2025**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल सुनिल कुमार पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार उम्र 48 साल निवासी वार्ड नम्बर 13 कस्बा सिद्धमुख जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध शराब बेचने का आदी है। जो अवैध शराब बेचकर गरीब तबके के लोगों को सस्ती शराब का लालच देकर आम जनता का आर्थिक नुकसान करता है, जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है, इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर है, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था कभी भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल सुनिल कुमार के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	48 / 2015	19 / 54 राज. आबकारी अधिनियम	सिद्धमुख	15.04.2015	सजा 06.10.2015
2	99 / 26.06.2015	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	सिद्धमुख	21.08.2015	सजा 12.12.2015
3.	154 / 07.09.2015	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	सिद्धमुख	26.11.2015	पैण्डिगं न्यायालय
4.	23 / 24.01.2016	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	सिद्धमुख	01.04.2016	सजा 08.10.2016
5.	95 / 18.05.2016	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	सिद्धमुख	05.08.2016	पैण्डिगं कोर्ट
6.	144 / 17.10.2022	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख		

इस प्रकार से गैर सायल सुनिल कुमार की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित है, इसकी ऐसी गतिविधियां या कार्य से जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है तथा

अर्पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का अभ्यस्त अपराधी है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर जवाब इस्तगासा प्रस्तुत करने हेतु काफी अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब इस्तगासा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली बहस में रखी गई।

दौराने बहस गैरसायल स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल को 3 बार, 19/54 राज. आबकारी अधि. में जिसमें 03 बार सजा दी जा चुकी है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल को 03 बार 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत जिनमें सजा दिनांक 06.10.2015, 12.12.2025 व सजा 08.10.2016 द्वारा दण्डित किया जा चुका है जिससे दोष प्रमाणित हैं। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल सुनिल कुमार पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार उम्र 48 साल निवासी वार्ड नम्बर 13 कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 10 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ की देखरेख में 10 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू

अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)